POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 17.12.2024

1. थाना सेक्टर-24 व साईबर सेल नोएडा की संयुक्त टीम द्वारा पीएनबी मैट लाईफ की बीमा पॉलिसी रिन्यू कराने का झाँसा देकर लोगो के साथ धोखाधडी करने वाले 03 अभियुक्त व 01 महिला अभियुक्ता सहित कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से विभिन्न कम्पनियो के 16 मोबाईल फोन व 03 बण्डल बीमा पॉलिसी के कागजात बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना सेक्टर-24 पुलिस व साईबर सेल टीम नोएडा जोन की संयुक्त टीम के द्वारा दिनांक **17/12/2024** को एफ-58 सेक्टर-11 नोएडा से पीएनबी मैट लाईफ बीमा पॉलिसी रिन्यू कराने का झाँसा देकर लोगो के साथ फर्जीवाडा कर पैसे ट्रांसफर करा लेने वाले कुल 04 अभियुक्त 1. पंकज कुमार सिंह पुत्र दीपक सिंह 2. कुशाग्रा पाण्डेय पुत्री कमलेश कुमार पाण्डेय 3. राजपाल सिंह पुत्र रुप सिंह 4. राहुल यादव पुत्र लक्ष्मी यादव को **गिरफ्तार** किया गया है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगण द्वारा लोगो की पीएनबी मैट लाईफ की बीमा पॉलिसियो की सम्पूर्ण जानकारी के कागजात प्राप्त कर बीमा पॉलिसी को रिन्यू कराने के लिये कॉल किया जाता है तथा कॉल पर पॉलिसी धारको को डिस्काउन्ट का लालच देकर बरगलाते थे तथा अलग अलग लुभावने पैकेजो की स्कीम बताकर लालच देते थे। उसके उपरान्त भी यदि पॉलिसी धारक झाँसे में नही आते थे तो रिकवरी के नाम पर डराते धमकाते थे। जिससे पॉलिसी धारक अभियुक्तगण के झाँसे में आकर अपने पैसे इनके द्वारा खुलवाये गये खातो में ट्रांसफर कर देते थे तथा जब पॉलिसी धारक पोलिसी कम्पनी में जानकारी करते थे तब उन्हे ज्ञात होता था कि उनकी पॉलिसी का कोई रिन्यूअल नही किया गया है और इस प्रकार के अपराध को कारित करने के लिये अभियुक्तगण द्वारा दूर-दराज के क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडू आदि राज्यो के लोगो के साथ कॉल कर उन्हे झाँसे में लेकर पैसा अपने खुलवाये गये खातो में ट्रांसफर कराते थे और इस कार्य को करने के लिये अलग अलग जगहो पर किराये पर स्पेस लेकर फर्जी कॉल सेन्टर का गिरोह चलाया जाता है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तगण से पूछताछ की गई तो बताया कि साहब हम लोग, अधिकृत कॉल सेन्टर वाले बनकर लोगो का निजी डाटा एकत्र करते थे और उसके बाद बीमा लोकपाल वाले बनकर कॉल करते थे। चूंकि हम पूर्व में भी कई बीमा सम्बन्धी कम्पनियो व कोटेक महेन्द्रा बैंक में काम कर चुके है जिससे हमें बीमा पॉलिसी के बारे में अच्छी जानकारी थी तथा लोगो का निजी डाटा भी हमारे पास था जिससे हम लोग, लोगो की बीमा पॉलिसी

के बन्द होने, रिन्यू कराने व अच्छा खासा रिफण्ड दिलाने के नाम पर प्रार्थना पत्र लेते थे तथा सरकारी खर्च के नाम पर उन लोगो से पैसे ट्रांसफर करा लेते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण--

1. पंकज कुमार सिंह पुत्र दीपक सिंह निवासी म0 नं0 238 गली नं0 15 नियर करपाल सिंह कोठी मीठापुर एक्सटेंशन जैतपुर, दिल्ली, उम्र 28 वर्ष
2. कुशाग्रा पाण्डेय पुत्री कमलेश कुमार पाण्डेय निवासी सी-134, उदयगिरी सेक्टर-34 थाना सेक्टर-24 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर, उम्र 24 वर्ष
3. राजपाल सिंह पुत्र रुप सिंह निवासी ग्राम मुरैना, थाना दिहोली, तहसील राजा खेडा जिला धौलपुर राजस्थान हाल निवासी जयकरण शर्मा का मकान, शर्मा डेयरी के पास, सलारपुर, थाना सेक्टर-39 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर, उम्र 30 वर्ष
4. राहुल यादव पुत्र लक्ष्मी यादव निवासी उस्मानपुर पहला पुस्ता गली नं0 10 दिल्ली, उम्र 29 वर्ष

अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग--

1. मु0अ0सं0 0552/2024 धारा 319(2)/318(4) /61(2) बीएनएस थाना सेक्टर-24 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण--

1. कब्जे से विभिन्न कम्पनियो के 16 मोबाईल फोन बरामद।
2. कुल 03 बण्डल बीमा पॉलिसी के कागजात बरामद।

2. थाना दादरी पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 बैटरी भिन्न-भिन्न कम्पनी की व मोबाइल टावर से चोरी किया हुआ 01 आरआरयू बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 16.12.2024 को वादी की तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की एयरटेल साईट से आर0आर0यू0 सीरियल नं0- सीएन35620370 व सीरियल नं0-सीएन35620461 को चोरी कर लेने के आधार पर थाना दादरी पर मु0अ0सं0-623/2024 धारा- 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **17.12.2024** को **थाना दादरी** पुलिस द्वारा चोरी की घटना करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 05 शातिर चोर 1. आकाश पुत्र हरपाल 2. राकेश कश्यप पुत्र तुलाराम 3. यश पुत्र विनोद 4. दीपक पुत्र जयभगवान 5. लव कुमार उर्फ लक्की पुत्र अर्जुन सिंह को 03 बैटरी भिन्न-भिन्न कम्पनी की व 01 आरआरयू सीरीयल नं0-सीएन35620370 के साथ एनटीपीसी कट से करीब 50 मीटर पहले रुपवास की तरफ से **गिरफ्तार** किया गया है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम सब ने मिलकर पिछली रातों में जारचा रोड पर एयरटेल टावर से 2 आरआरयू चोरी किया था तथा आस-पास के इलाके से हमने गाडियों की बैटरी/टावरों के आरआरयू चोरी किये थे । माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-317(2)/ 317(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

बरामदगी का विवरण--

1. 03 बैट्री भिन्न-भिन्न कम्पनी
2. एक आरआरयू सीरीयल नं0-सीएन 35620370

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण--

1. आकाश पुत्र हरपाल निवासी अमर विहार कालोनी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष
2. राकेश कश्यप पुत्र तुलाराम निवासी थाना मिलक जिला रामपुर उम्र करीब 23 वर्ष
3. यश पुत्र विनोद निवासी अमर विहार कालोनी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष
4. दीपक पुत्र जयभगवान निवासी राहुल गार्डन बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष
5. लव कुमार उर्फ लक्की पुत्र अर्जुन सिंह निवासी अमर विहार कालोनी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0-623/2024 धारा-303(2) बीएनएस व बढोतरी धारा-317(2)/ 317(5) बीएनएस थाना दादरी गौतमबुद्धनगर